

31.8.18

कमील वादी ने निवेदन किया कि पल कारो के पक्ष  
व्यक्तिगत है वे के पक्ष में आगे कोई कार्यवाही  
कही नहीं है। कमील वादी के निवेदन में वरिष्ठ  
मिस्ट्री की अनुमति दी जाती है। कपड़ा रिपारिण  
जाता है। पंजाबी कपड़ा गुण ले कर नकल  
के बंधन व गारंटी देता है।

उपखण्ड अधिकारी  
बसीराबाद (अजमेर)

न्यायालय श्रीमान

Reed

Prankh